

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा,, हरियाणा, चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 23/85-92 वि.। ४६८ दिनांक 28.10.93

विवेकानन्द इन्टरनैशनल हाई स्कूल सेक्टर ४ करीदाबाद को १ दिनांक
10.4.93 से छठीं से दसवीं कक्षा तक की स्थाई मान्यता निम्न शार्तों पर प्रदान की
जाती है:-

१. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने ही साथीं से चलायेगे और ग्रांट की भाँच
नहीं करेगे।
२. यदि किसी समय वह आया गया कि प्रबन्धक शिक्षा कोड की आरा 214
की शार्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो मान्यता वापिस ने नहीं दी जायेगी।

ज्य. नाना
संयुक्त निदेशक सेक्टरी १५१, चण्डीगढ़।

पू. क्र. - तम दिनांक चण्डीगढ़ २८-१०-९३

इसकी एक प्रति निम्ननिखित को सुनार्थ एवं आमरपक कामा करा।

भेजी जाती है :-

१. जिला शिक्षा अधिकारी करीदाबाद।
२. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।
३. धेयरमेन हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
४. अधीक्षक रैकण्डरी शिक्षा।
५. अधीक्षक रन एफ सी शाहा ॥ स्थानीय॥।
६. गांधी अधिकारी ॥ स्थानीय॥।
७. मैनेजर विवेकानन्द इन्टरनैशनल हाई स्कूल सेक्टर ४ करीदाबाद।

सेक्टर

८८

मुख्य लेखा अधिकारी ॥ निदेशक सेक्टरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।